ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY

रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति

DVMS & Sabka Ghar Ashram
Dausa, Rajasthan, India

Effective Date: 01.12.2016

Approved By: Governing Body/Executive Committee, DVMS

1. उद्देश्य (Purpose)

DVMS एवं सबका घर आश्रम संगठन की सभी गतिविधियों में **ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता एवं नैतिक आचरण** के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति का उद्देश्य संगठन के भीतर या संगठन से जुड़े किसी भी कार्य में **रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अनुचित भुगतान, किकबैक तथा अन्य अनैतिक गतिविधियों** को रोकने, पहचानने, रिपोर्ट करने और उनका उचित समाधान करने के लिए स्पष्ट नियम एवं प्रक्रियाएं स्थापित करना है।

संगठन रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के प्रति **शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance)** की नीति अपनाता है और अपनी सभी गतिविधियों को ईमानदार, पारदर्शी एवं जिम्मेदार तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह नीति संगठन, उसके कर्मचारियों, लाभार्थियों, निवासियों, दानदाताओं, साझेदारों एवं अन्य हितधारकों को रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिमों एवं संभावित परिणामों से बचाने के लिए बनाई गई है।

2. कार्यक्षेत्र (Scope)

यह नीति DVMS एवं सबका घर आश्रम से जुड़े सभी व्यक्तियों पर लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:

- शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्य;
- प्रबंधन एवं वरिष्ठ पदाधिकारी;
- स्थायी, अस्थायी, संविदात्मक एवं अंशकालिक कर्मचारी;
- परियोजना कर्मचारी एवं फील्ड कर्मचारी;
- स्वयंसेवक, प्रशिक्षु एवं इंटर्न;
- सलाहकार एवं पेशेवर विशेषज्ञ;
- ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता;
- विक्रेता (Vendors) एवं अन्य व्यावसायिक/सेवा साझेदार;
- संगठन की ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि एवं एजेंट;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

- संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति।

यह नीति निम्नलिखित सभी संगठनात्मक गतिविधियों पर लागू होगी:

- कार्यक्रम एवं परियोजना का कार्यान्वयन;
- खरीद एवं Procurement;
- वित्तीय लेन-देन;
- भर्ती एवं रोजगार;
- Grant एवं Donor Management;
- सरकारी एवं वैधानिक संस्थाओं के साथ संपर्क;
- साझेदारी एवं अनुबंध;
- Fundraising एवं संसाधन जुटाना;
- यात्रा एवं फील्ड गतिविधियां;
- भुगतान, प्रतिपूर्ति एवं अग्रिम;
- संगठन की ओर से की जाने वाली अन्य सभी गतिविधियां।

3. नीति वक्तव्य (Policy Statement)

DVMS एवं सबका घर आश्रम किसी भी रूप में **रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को सख्ती से प्रतिबंधित** करता है।

इस नीति के अंतर्गत आने वाला कोई भी कर्मचारी, पदाधिकारी, स्वयंसेवक, सलाहकार, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, साझेदार या अन्य संबंधित व्यक्ति किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का **अनुचित भुगतान, लाभ, सुविधा, उपहार या लाभांश** प्रदान, वादा, मांग या स्वीकार नहीं करेगा।

संगठन अपनी सभी गतिविधियों में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा:

- ईमानदारी;
- सत्यनिष्ठा;
- पारदर्शिता;
- जवाबदेही;
- निष्पक्षता;
- व्यावसायिक/पेशेवर आचरण;
- लागू कानून एवं Donor Requirements का अनुपालन।

इस नीति का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यकतानुसार **अनुशासनात्मक, संविदात्मक एवं/या कानूनी कार्रवाई** की जा सकती है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

4. रिश्वतखोरी की परिभाषा (Definition of Bribery)

रिश्वतखोरी (Bribery) का अर्थ है किसी व्यक्ति के निर्णय, कार्य या व्यवहार को अनुचित रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी मूल्यवान वस्तु या लाभ की **पेशकश करना, वादा करना, देना, मांगना, प्राप्त करना या स्वीकार करना**।

रिश्वत में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- नकद या धनराशि;
- उपहार;
- व्यक्तिगत लाभ;
- रोजगार का अवसर;
- ऋण या वित्तीय लाभ;
- कमीशन या किकबैक;
- मुफ्त सेवाएं;
- यात्रा या आवास की सुविधा;
- अनुचित विशेष व्यवहार;
- अनुचित उद्देश्य से किया गया दान या योगदान;
- कोई अन्य लाभ जिसका उद्देश्य किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करना हो।

रिश्वत प्रत्यक्ष या किसी **मध्यस्थ, एजेंट, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, साझेदार या अन्य तीसरे पक्ष** के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी दी या ली जा सकती है।

5. भ्रष्टाचार की परिभाषा (Definition of Corruption)

भ्रष्टाचार (Corruption) का अर्थ है किसी व्यक्ति को सौंपे गए अधिकार, पद, शक्ति, जिम्मेदारी या संगठन के संसाधनों का व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य अनुचित लाभ के लिए दुरुपयोग या गलत तरीके से उपयोग करना।

भ्रष्ट आचरण में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- रिश्वतखोरी;
- किकबैक;
- संगठन के धन का दुरुपयोग;
- धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेन-देन;
- रिकॉर्ड में हेरफेर;
- पक्षपात या अनुचित प्रभाव;
- अधिकार का दुरुपयोग;
- व्यक्तिगत लाभ को छिपाना;
- आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के साथ मिलीभगत;
- संगठन की संपत्ति या धन का गबन/दुरुपयोग;
- वित्तीय या संचालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाना।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

6. रिश्वतखोरी पर प्रतिबंध (Prohibition of Bribery)

इस नीति के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति:

- रिश्वत की पेशकश या भुगतान नहीं करेगा;
- रिश्वत की मांग या स्वीकार नहीं करेगा;
- अनुचित भुगतान या लाभ देने का वादा नहीं करेगा;
- किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित भुगतान करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा;
- संगठन की ओर से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करेगा;
- रिश्वत देने के लिए संगठन के धन या संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा;
- रिश्वतखोरी को सुविधाजनक बनाने या छिपाने का प्रयास नहीं करेगा;
- अनुचित भुगतान को छिपाने के लिए झूठे रिकॉर्ड नहीं बनाएगा;
- किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यवस्था में शामिल नहीं होगा।

यह प्रतिबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भुगतान एवं लाभ पर लागू होगा।

7. सुविधा भुगतान (Facilitation Payments)

संगठन **अनौपचारिक सुविधा भुगतान (Facilitation Payments)** को प्रतिबंधित करता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां कोई भुगतान कानून द्वारा अनिवार्य हो और उसका उचित आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध हो।

Facilitation Payment का अर्थ ऐसे अनौपचारिक भुगतान से है जो किसी सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी नियमित प्रशासनिक कार्य को शीघ्र कराने या करवाने के लिए दिया जाता है।

कर्मचारी एवं संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित कार्यों के लिए अनौपचारिक भुगतान नहीं करेंगे:

- सरकारी अनुमोदन;
- लाइसेंस या पंजीकरण;
- नियमित निरीक्षण;
- प्रशासनिक सेवाएं;
- परमिट;
- अन्य नियमित सरकारी/आधिकारिक कार्य।

यदि किसी कर्मचारी को तत्काल सुरक्षा के खतरे, दबाव या जबरदस्ती के कारण ऐसा भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे यथाशीघ्र प्रबंधन को इसकी जानकारी देनी होगी और घटना का उचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

8. उपहार, आतिथ्य एवं अन्य लाभ (Gifts, Hospitality and Other Benefits)

संगठन यह स्वीकार करता है कि वैध संगठनात्मक गतिविधियों के दौरान उचित एवं सीमित आतिथ्य कभी-कभी आवश्यक हो सकता है। हालांकि, किसी भी उपहार, आतिथ्य या लाभ का उपयोग किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कर्मचारी एवं संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित को स्वीकार या प्रदान नहीं करेंगे:

- नकद या नकद के समान लाभ;
- अत्यधिक या अनुचित उपहार;
- व्यक्तिगत ऋण;
- निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया लाभ;
- संवेदनशील Procurement या Contract Decision के दौरान उपहार;
- ऐसा कोई लाभ जिससे व्यक्तिगत दायित्व या अपेक्षा उत्पन्न हो।

उचित, सीमित एवं वैध उपहार या आतिथ्य तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह:

- परिस्थिति के अनुरूप हो;
- किसी निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से न हो;
- कानून के अनुरूप हो;
- पारदर्शी हो;
- किसी दायित्व या अपेक्षा का निर्माण न करता हो।

जहाँ संगठन की प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक हो, उपहार एवं आतिथ्य का **खुलासा एवं रिकॉर्ड** किया जाएगा।

9. दान एवं योगदान (Donations and Contributions)

संगठन द्वारा प्राप्त सभी **दान, अनुदान, Sponsorship एवं अन्य योगदान** को पारदर्शी तरीके से प्राप्त एवं उचित रूप से दर्ज किया जाएगा।

ऐसा कोई दान, योगदान या Sponsorship स्वीकार नहीं किया जाएगा जो:

- संगठन के किसी निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया गया हो;
- किसी व्यक्तिगत अनुचित लाभ से जुड़ा हो;
- किसी छिपे हुए दायित्व का निर्माण करता हो;
- संगठन के उद्देश्यों या नीतियों के अनुरूप न हो;
- महत्वपूर्ण कानूनी, नैतिक या प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न करता हो।

जहाँ आवश्यक हो, संगठन महत्वपूर्ण Donors, Partners एवं Funding Sources के संबंध में उचित **Due Diligence** करेगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

10. खरीद एवं आपूर्तिकर्ता संबंध (Procurement and Supplier Relationships)

संगठन की सभी Procurement गतिविधियां संगठन की **Procurement Policy** के अनुसार की जाएंगी।

Procurement में शामिल कर्मचारी एवं व्यक्ति:

- स्वीकृत Procurement Procedures का पालन करेंगे;
- निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखेंगे;
- आपूर्तिकर्ताओं से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करेंगे;
- हितों के टकराव की घोषणा करेंगे;
- Kickback या Commission स्वीकार नहीं करेंगे;
- Quotations या Procurement Documents में हेरफेर नहीं करेंगे;
- व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी Supplier को अनुचित प्राथमिकता नहीं देंगे;
- उचित Procurement Records बनाए रखेंगे।

जहाँ आवश्यक हो, Suppliers, Contractors एवं Service Providers से संगठन के Anti-Bribery एवं Ethical Standards का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है।

11. किकबैक एवं कमीशन (Kickbacks and Commissions)

किकबैक (Kickback) पूरी तरह प्रतिबंधित है।

किकबैक का अर्थ है किसी Contract को देने, Payment को मंजूरी देने, Supplier का चयन करने या किसी संगठनात्मक निर्णय को प्रभावित करने के बदले किसी व्यक्ति को अनुचित भुगतान, कमीशन, उपहार या अन्य लाभ देना या प्राप्त करना।

कोई भी कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति:

- Supplier से व्यक्तिगत कमीशन की मांग नहीं करेगा;
- Contractor से व्यक्तिगत वित्तीय लाभ स्वीकार नहीं करेगा;
- Procurement से संबंधित छिपे हुए भुगतान की व्यवस्था नहीं करेगा;
- Supplier के चयन या Recommendation के बदले व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करेगा;
- व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन के व्यावसायिक अवसरों या संबंधों का उपयोग नहीं करेगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

12. सरकारी अधिकारियों के साथ व्यवहार (Government and Public Officials)

सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों एवं वैधानिक संस्थाओं के साथ सभी व्यवहार **पेशेवर, पारदर्शी एवं लागू कानूनों के अनुरूप** किए जाएंगे।

संगठन की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को निर्णय प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई अनुचित भुगतान, उपहार, लाभ या सुविधा प्रदान नहीं करेगा।

सरकारी प्राधिकरण को किया जाने वाला कोई भी वैध भुगतान:

- कानून द्वारा आवश्यक होना चाहिए;
- अधिकृत एवं ट्रेस करने योग्य माध्यम से किया जाना चाहिए;
- आधिकारिक रसीद या उचित दस्तावेज से समर्थित होना चाहिए;
- संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड में उचित रूप से दर्ज होना चाहिए।

13. राजनीतिक योगदान (Political Contributions)

संगठन अपने धन, संपत्ति या संसाधनों का उपयोग राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों या राजनीतिक संगठनों को राजनीतिक योगदान या लाभ देने के लिए नहीं करेगा, जहाँ ऐसा करना लागू कानून द्वारा प्रतिबंधित हो या संगठन की कानूनी स्थिति एवं उद्देश्यों के अनुरूप न हो।

कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कानून के अनुरूप राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि:

- वे संगठन का प्रतिनिधित्व करने का दावा न करें;
- संगठन के संसाधनों का उपयोग न करें;
- संगठन के नाम या पद का अनुचित उपयोग न करें।

14. हितों का टकराव (Conflict of Interest)

सभी कर्मचारी, शासी निकाय के सदस्य एवं संगठन से जुड़े व्यक्ति किसी भी **वास्तविक, संभावित या प्रतीत होने वाले हितों के टकराव (Actual, Potential or Perceived Conflict of Interest)** की जानकारी संगठन को देंगे।

उदाहरण:

- किसी ऐसे Procurement में भाग लेना जिसमें परिवार के सदस्य का व्यवसाय शामिल हो;
- ऐसे Supplier का चयन करना जिसमें कर्मचारी का वित्तीय हित हो;
- Funding प्राप्त करने वाले किसी संगठन से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना;
- व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठनात्मक संबंधों का उपयोग करना।

हितों के टकराव का प्रबंधन संगठन की **Conflict of Interest Policy** के अनुसार किया जाएगा।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

15. सही एवं पारदर्शी लेखा एवं रिकॉर्ड (Accurate Books and Records)

संगठन सटीक, पूर्ण एवं पारदर्शी वित्तीय एवं संचालन संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

कोई भी व्यक्ति:

- झूठे या भ्रामक रिकॉर्ड नहीं बनाएगा;
- भुगतान को छिपाएगा या गलत श्रेणी में दर्ज नहीं करेगा;
- गुप्त खाते नहीं रखेगा;
- बिना उचित दस्तावेज के खर्च को मंजूर नहीं करेगा;
- Invoice या Receipt में हेरफेर नहीं करेगा;
- वित्तीय या Procurement Records में बदलाव/हेरफेर नहीं करेगा;
- अनधिकृत भुगतान को छिपाने का प्रयास नहीं करेगा।

सभी वित्तीय लेन-देन उचित दस्तावेजों से समर्थित होंगे और संगठन की **Financial Management Policy** के अनुसार अधिकृत किए जाएंगे।

16. तृतीय पक्षों की जांच एवं Due Diligence

जहाँ उचित एवं आवश्यक हो, संगठन निम्नलिखित Third Parties की उचित Due Diligence कर सकता है:

- Suppliers;
- Contractors;
- Consultants;
- Service Providers;
- Implementing Partners;
- Agents या Representatives;
- बड़े Donors या Funding Partners।

Due Diligence का स्तर संबंधित संबंध की प्रकृति, मूल्य, जोखिम एवं संवेदनशीलता पर निर्भर कर सकता है।

जहाँ आवश्यक हो, Contracts एवं Agreements में Third Parties के लिए लागू **Anti-Bribery एवं Anti-Corruption Standards** का पालन करने संबंधी प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

17. रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग (Reporting Suspected Bribery or Corruption)

जिस किसी व्यक्ति को रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या संबंधित अनियमितता का संदेह हो या उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे संगठन के निर्धारित **Reporting Mechanism** के माध्यम से इसकी सूचना देनी चाहिए।

शिकायत/रिपोर्ट निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती है:

- लिखित शिकायत;
- आधिकारिक ईमेल;
- नामित Management Representative को सूचना;
- Governing Body / Executive Committee को सूचना;
- संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित अन्य Reporting Channel।

जहाँ संभव हो, रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

- संदिग्ध अनियमितता का विवरण;
- घटना की तारीख एवं स्थान;
- संबंधित व्यक्तियों के नाम;
- संबंधित दस्तावेज या साक्ष्य;
- गवाहों का विवरण, यदि उपलब्ध हो;
- कोई तत्काल जोखिम या चिंता।

सद्भावना (Good Faith) में शिकायत या रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध **प्रतिशोध (Retaliation)** नहीं किया जाएगा।

18. प्रतिशोध से सुरक्षा (Protection Against Retaliation)

संगठन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध को सख्ती से प्रतिबंधित करता है जो सद्भावना में:

- रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करता है;
- किसी नैतिक चिंता को उठाता है;
- जानकारी या साक्ष्य उपलब्ध कराता है;
- जांच में भाग लेता है;
- आंतरिक समीक्षा में सहयोग करता है;
- भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से इंकार करता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03

प्रतिशोध में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- धमकी;
- डराना या दबाव डालना;
- उत्पीड़न;
- भेदभाव;
- अनुचित रूप से सेवा समाप्त करना;
- जिम्मेदारियों में अनुचित कमी;
- अनुचित व्यवहार;
- अन्य प्रतिकूल कार्रवाई।

प्रतिशोध से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यकता होने पर उसकी अलग से जांच की जाएगी।

19. जांच प्रक्रिया (Investigation)

रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से संबंधित विश्वसनीय शिकायतों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता होने पर **निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं दस्तावेजीकृत प्रक्रिया** के माध्यम से जांच की जाएगी।

संगठन:

- आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता का आकलन करेगा;
- संबंधित रिकॉर्ड एवं साक्ष्यों को सुरक्षित रखेगा;
- आवश्यक गोपनीयता बनाए रखेगा;
- जांच में हितों के टकराव से बचने का प्रयास करेगा;
- संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देगा;
- जांच के निष्कर्ष एवं की गई कार्रवाई का दस्तावेजीकरण करेगा;
- आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

जहाँ आवश्यक हो, संगठन जांच में सहायता के लिए किसी **स्वतंत्र व्यक्ति या पेशेवर विशेषज्ञ** की सहायता ले सकता है।

20. अनुशासनात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई (Disciplinary and Corrective Action)

यदि जांच में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है, तो संगठन मामले की गंभीरता एवं लागू कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

संभावित कार्रवाई में शामिल हो सकती है:

- मौखिक या लिखित चेतावनी;
- औपचारिक फटकार;
- परामर्श या सुधारात्मक प्रशिक्षण;

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03 303303

- अनुचित रूप से प्राप्त धन या लाभ की वसूली;
- जिम्मेदारियों पर प्रतिबंध;
- निलंबन;
- रोजगार या Engagement समाप्त करना;
- Contract समाप्त करना;
- संगठनात्मक जिम्मेदारियों से हटाना;
- Supplier/Partner संबंध समाप्त या निलंबित करना;
- जहाँ कानूनन आवश्यक या उचित हो, संबंधित सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना।

21. संगठन की संपत्ति एवं धन की सुरक्षा (Protection of Organizational Assets and Funds)

सभी कर्मचारी एवं संगठन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे संगठन के **धन, संपत्ति, उपकरण, दस्तावेज एवं अन्य संसाधनों** को दुरुपयोग से सुरक्षित रखें।

संगठन के संसाधनों का उपयोग केवल वैध संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति संगठन के धन या संपत्ति का उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं करेगा:

- व्यक्तिगत वित्तीय लाभ;
- अनधिकृत भुगतान;
- रिश्वतखोरी;
- जहाँ प्रतिबंधित हो वहाँ राजनीतिक गतिविधियां;
- छिपे हुए व्यक्तिगत लेन-देन;
- किसी अन्य अनुचित उद्देश्य के लिए।

22. प्रशिक्षण एवं जागरूकता (Training and Awareness)

संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि कर्मचारी एवं संबंधित व्यक्ति इस नीति को समझें और उसका पालन करें।

संगठन आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित कर सकता है:

- Staff Orientation;
- Anti-Bribery एवं Anti-Corruption Awareness Sessions;
- Procurement एवं Financial Compliance Training;
- Gifts एवं Hospitality से संबंधित मार्गदर्शन;
- Reporting एवं Whistleblower Awareness;
- आवश्यकता के अनुसार Refresher Training।

Procurement, Finance, Fundraising या Government Liaison जैसे अधिक जोखिम वाले कार्यों में लगे कर्मचारियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) 303303 मान्यता प्राप्त रजि. नं.- 45/32-03

23. कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारियां (Responsibilities of Employees and Associated Persons)

इस नीति के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह:

- इस नीति को समझे एवं उसका पालन करे;
- ईमानदारी एवं नैतिकता के साथ कार्य करे;
- रिश्वतखोरी एवं भ्रष्ट आचरण से बचे;
- हितों के टकराव की जानकारी दे;
- सटीक एवं उचित रिकॉर्ड बनाए रखे;
- संगठन के संसाधनों की सुरक्षा करे;
- संदिग्ध अनियमितता की रिपोर्ट करे;
- जांच में सहयोग करे;
- गोपनीयता बनाए रखे;
- शिकायत या चिंता उठाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध न करे।

24. प्रबंधन की जिम्मेदारियां (Responsibilities of Management)

DVMS एवं सबका घर आश्रम का प्रबंधन:

- इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा;
- संगठन में ईमानदारी एवं पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देगा;
- उचित Reporting Mechanism स्थापित करेगा;
- आवश्यक जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगा;
- Financial एवं Procurement Controls को प्रभावी बनाए रखेगा;
- प्राप्त शिकायतों एवं चिंताओं का उचित समय पर समाधान करेगा;
- आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेगा;
- प्रतिशोध से सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;
- आवश्यक सुधारात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा;
- जहाँ जोखिम की पहचान हो, वहाँ Internal Controls को मजबूत करेगा।

25. रिकॉर्ड रखना एवं निगरानी (Record Keeping and Monitoring)

संगठन निम्नलिखित से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखेगा:

- वित्तीय लेन-देन;
- Procurement;
- Gifts एवं Hospitality, जहाँ लागू हो;
- Donations एवं Grants;
- Third-Party Due Diligence;
- प्राप्त शिकायतें एवं आरोप;
- जांच एवं सुधारात्मक कार्रवाई;
- Training एवं Awareness Activities।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दीप विद्या मन्दिर समिति दौसा (राज.) मान्यता प्राप्त रजि. न.- 45/32-03 303303

रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से रखे जाएंगे और आवश्यकता के अनुसार अधिकृत आंतरिक समीक्षा, Audit या Donor Due Diligence के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं, बशर्ते कि गोपनीयता एवं लागू कानूनों का पालन किया जाए।

संगठन समय-समय पर अपने Internal Controls की समीक्षा कर सकता है ताकि रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित जोखिमों की पहचान एवं रोकथाम की जा सके।

26. गोपनीयता (Confidentiality)

रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित जानकारी को उचित **गोपनीयता** के साथ रखा जाएगा।

जानकारी केवल उन्हीं अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा की जाएगी जिन्हें मामले को समझने, जांचने या उसका समाधान करने के लिए उस जानकारी की आवश्यकता हो।

संगठन निम्नलिखित व्यक्तियों की निजता एवं गरिमा की रक्षा के लिए उचित प्रयास करेगा:

- शिकायत/रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति;
- जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं;
- गवाह;
- जांचकर्ता;
- प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्ति।

27. कानूनी एवं नियामक अनुपालन (Legal and Regulatory Compliance)

यह नीति भारत में लागू सभी संबंधित **कानूनों, नियमों, विनियमों एवं वैधानिक प्रावधानों** तथा जहाँ लागू हो, संबंधित Donor एवं Funding Agreements की आवश्यकताओं के अनुसार लागू की जाएगी।

जहाँ लागू हो, संगठन निम्नलिखित से संबंधित कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं का पालन करेगा:

- रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम;
- वित्तीय जवाबदेही;
- Charitable एवं Non-Profit Organizations से संबंधित आवश्यकताएं;
- Tax एवं Statutory Compliance;
- Procurement एवं Contracting;
- Domestic एवं Foreign Funding से संबंधित आवश्यकताएं;
- Donor एवं Grant Compliance।

यदि इस नीति एवं किसी अनिवार्य कानूनी प्रावधान के बीच कोई अंतर हो, तो **लागू कानून को प्राथमिकता दी जाएगी।**

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

28. नीति का उल्लंघन (Policy Violations)

इस नीति का कोई भी उल्लंघन **गंभीर मामला** माना जा सकता है।

उल्लंघन की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संगठन **अनुशासनात्मक, संविदात्मक, वित्तीय एवं/या कानूनी कार्रवाई** कर सकता है।

कोई व्यक्ति यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि अनुचित भुगतान या लाभ उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया या प्राप्त किया गया था।

जहाँ किसी व्यक्ति पर गंभीर अनियमितता की रिपोर्ट करने की उचित जिम्मेदारी हो और उसे ऐसी अनियमितता की जानकारी हो, वहाँ जानबूझकर रिपोर्ट न करना भी संगठनात्मक जिम्मेदारी का उल्लंघन माना जा सकता है।

29. नीति की समीक्षा एवं संशोधन (Policy Review and Amendment)

इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर इसमें संशोधन किया जाएगा।

नीति की समीक्षा विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:

- लागू कानूनों या नियमों में परिवर्तन;
- Donor या Funding Agency की आवश्यकताओं में परिवर्तन;
- संगठन की संरचना में परिवर्तन;
- Financial या Procurement Systems में परिवर्तन;
- नए भ्रष्टाचार जोखिमों की पहचान;
- संगठन की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

शासी निकाय (Governing Body) / कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) इस नीति में संशोधन को अनुमोदित कर सकती है।

संशोधित नीति में आवश्यकता के अनुसार **Policy Version, Effective Date, Review Date एवं Approval Details** दर्ज किए जाएंगे।

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

30. अनुमोदन (Approval)

यह **रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति (Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy) दीप विद्या मंदिर समिति (DVMS) एवं सबका घर आश्रम** के **शासी निकाय (Governing Body) / कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)** द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात संगठन में लागू की गई है।

अनुमोदित द्वारा (Approved By): Director with the concurrence of all Board Members.

पद (Designation): Director

हस्ताक्षर (Signature):

निदेशक
दीप विद्या मन्दिर समिति
दौसा (राज.) 303303

दिनांक (Date):

01.12.2016

संगठन की मुहर (Organization Seal):

